[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, SubSection (i)]

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the $5^{\text {th }}$ July, 2017
G.S.R. ___(E). - In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1), sub-section (4), clause (f) of sub-section (6) of section 149, subsections (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152 , section 153 , section 154 , section 157 , section 160 , sub-section (1) of section 168 and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), rule 4 shall be numbered as subrule (1) and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted namely :-
"(2) The following classes of unlisted public company shall not be covered under sub-rule (1), namely:-
(a) a joint venture;
(b) a wholly owned subsidiary; and
(c) a dormant company as defined under section 455 of the Act.".
3. In the principal rules, in the Annexure, for Form DIR-5, the following Form shall be substituted, namely:-

## FORM DIR-5

[Pursuant to section 153 of the Companies Act, 2013 and rule 11 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]


Form language o English o Hindi
Refer the instruction kit for filing the form.

1. *Name of the DIN holder
(a) First name

(b) Last name


Photograph of the DIN holder
(c) Middle name $\square$
2. *Father's name
(a) First name $\square$
(b) Last name
(c) Middle name $\square$
3. *Reason for surrender of DIN

- Having multiple DINs
- DIN was obtained in a wrongful manner or by fraudulent means
- Death of the concerned individual
- Concerned individual is declared as a person of unsound mind by a competent court
- Concerned individual has been adjudicated as insolvent
- Concerned individual is/was not associated with any company/LLP

4. *Whether DIN holder is retaining any DIN O Yes O No

The number of oldest DIN which is being retained
(Note: DIN being retained will replace all the other DINs for which surrender application is filed by the user)
5. *Specify the number of $\operatorname{DIN}(s)$ being surrendered by the applicant $\square$
*Particulars of the $\operatorname{DIN}(s)$ being surrendered

I

6. (a) *Contact number of the applicant $\square$
(b) *e-mail ID of the applicant $\square$
(c) Other information, if any, which the applicant intends to submit with regard to this application
7. (a) *Whether the application is being digitally signed by the holder of DIN himself o Yes o No
(b) *Particulars of the applicant
(i) Name
(ii) Relation with the DIN holder $\square$
(iii) DIN of the applicant (if any) $\square$
(iv) PAN

## Attachments

(1) *Proof of identity of the applicant;
(2) *Proof of residence of the applicant;
(3) Affidavit including declaration that retained DIN will be updated with all associated CIN/LLPIN;
(4) Copy of court order declaring DIN holder as insolvent/unsound mind
(5) Copy of death certificate
(6) Optional Attachment-if any.


## Declaration

$\square \quad$ *I hereby declare that Information and other particulars given in this form are true and correct.
$\square$ I further declare that I have never been appointed as director/designated partner in any company/LLP and the DIN has never been used for filing of any document with any authority.
*To be digitally signed by
DSC Box


## Certificate by practicing professional

$\square \quad$ *I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form.
$\square \quad *$ I have satisfied myself about the identity of the applicant based on perusal of the original of the

(Amardeep Singh Bhatia)
Joint Secretary to the Government of India

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 259(E) dated the $31^{\text {st }}$ March, 2014 and were subsequently amended vide number G.S.R. 671(E) dated the $18^{\text {th }}$ September, 2014 and G.S.R. 42(E) dated the 19th January, 2015.
[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3 , उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

# भारत सरकार <br> कारपोरेट कार्य मंत्रालय <br> अधिसूचना 

नई दिल्ली,5 जुलाई, 2017

सा.का.नि. $\qquad$ (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक, उपधारा (4), उपधारा (6) के खंड (च), धारा 150 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 151, धारा 152 की उपधारा (5), धारा 153 , धारा 154 , धारा 157 , धारा 160 , धारा 168 की उपधारा (1) और धारा 170 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके बाद मूल नियम कहा गया है) में, नियम 4 को उपनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित होने के बाद निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्.-
"(2) निम्नलिखित वर्गों की असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियां उपनियम (1) के अधीन नहीं आएंगी, अर्थात्:-
(क) एक संयुक्त उद्यम;
(ख) एक पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी; और
(ग) अधिनियम की धारा 455 के अंतर्गत परिभाषित एक निष्क्रिय कंपनी"।
3. मूल नियमों में, उपाबंध में, प्ररूप डीआईआर- 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

| प्ररूप डीआईआर-5 <br> [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा <br> 153 और कंपनी (निदेशकों की <br> नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के <br> नियम 11 के अनुसरण में] |
| :--- |

## प्ररूप भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

प्ररूप भरने के लिए निदेश किट का संदर्भ लें।

1. *डीआईएन धारक का नाम
(क) पहला नाम $\qquad$ डीआईएन धारक
का फोटो
(ख) अंतिम नाम $\qquad$
(ग) मध्य नाम $\qquad$
2. *पिता का नाम
(क) पहला नाम $\qquad$
(ख) अंतिम नाम $\qquad$
(ग) मध्य नाम $\qquad$
3. *डीआईएन अभ्यर्पण का कारण

- एक से अधिक डीआईएन होना
- डीआईएन गलत रीति से या कपटपूर्वक प्राप्त किया गया था
- संबंधित व्यक्ति की मृत्यु
- किसी सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित व्यक्ति को विकृत चित्त घोषित किया गया है

० संबंधित व्यक्ति को दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णित किया जा चुका है

- संबंधित व्यक्ति किसी कंपनी/एलएलपी से संबंध नहीं रखता है/था

4. *क्या डीआईएन धारक कोई डीआईएन धारित कर रहा है O हां O नहीं सबसे पुराने डीआईएन की संख्या, जो अभी प्रतिधारित है $\qquad$
(टिप्पणः उपयोक्ता द्वारा प्रतिधारित डीआईएन अन्य सभी डीआईएन को प्रतिस्थापित करेगा, जिनके अभ्यर्पण के लिए आवेदन किया गया है)
5. *आवेदक द्वारा अभ्यर्पण किए जा रहे डीआईएन की संख्या/संख्याओं को विनिर्दिष्ट करें *अभ्यर्पण किए जा रहे डीआईएन (संख्या/संख्याओं) का ब्यौरा $\square$
I
(i) *डीआईएन $\qquad$ पूर्व पूरित
(ii) नाम $\qquad$
(iii) पिता का नाम $\qquad$
6. (क) *आवेदक का संपर्क संख्या $\qquad$
(ख) *आवेदक का ई-मेल पता $\qquad$
(ग) अन्य सूचना, यदि कोई हो, जो आवेदक इस आवेदन के संबंध में प्रस्तुत करना चाहता है
7. (क) *क्या आवेदन स्वयं डीआईएन धारक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है O हां O नहीं
(ख) *आवेदक का ब्यौरा
(i) नाम $\qquad$
(ii) डीआईएन धारक के साथ संबंध $\qquad$
(iii) आवेदक का डीआईएन (यदि कोई है) $\qquad$
(iv) पैन $\qquad$

## संलग्नक

(1) *आवेदक की पहचान का सबूत
(2) *आवेदक के आवास का सबूत
(3) इस घोषणा सहित शपथ पत्र,

कि प्रति धारित डीआईएन सभी सहयुक्त सीआईएन/ एलएलपीआईएन के साथ अद्यतन किया जाएगा;
(4) डीआईएन धारक को दिवालिया/विकृतचित्त घोषित करने वाले न्यायालय आदेश की प्रति
(5) मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति
(6) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई है


संत्रत्न कर

संलग्नकों की सूची

## संलग्न करें

संलनल कर


संलग्नक हटाएं

## घोषणा

- *मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप के साथ दी गई सूचना और अन्य ब्यौंरे सत्य और सही हैं।
- मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे कभी किसी कंपनी/एलएलपी में निदेशक/नामनिर्दिष्ट भागीदार के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है और यह डीआईएन कभी भी किसी प्राधिकरण में कोई दस्तावेज दायर करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है।
*डिजीटल हस्ताक्षर करने के लिए


## डीएससी बॉक्स

*नाम $\qquad$
*डीआईएन/पैन $\qquad$

## व्यवसायरत वृत्तिक द्वारा प्रमाण पत्र

- *मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के प्रयोजनार्थ सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है।

० *मैंने संलग्न दस्तावेजों के मूल के अवलोकन के आधार पर आवेदक की पहचान के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।
टिप्पण: आवेदक के भारत के बाहर निवास करने की स्थिति में ब्यौंरे/सत्यापन यथाविहित

सत्यापन करने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित दस्तावेजों से किया जाना।
० *मैंने इस प्ररूप की विषयवस्तु और उससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अध्ययन कर लिया है और उपर्युक्त विवरण (संलग्नकों सहित) का सत्यापन आवेदक द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों से किया है जो इस प्ररूप की विषयवस्तु है और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है तथा इस प्ररूप में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छिपाई गई है।

○*मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण और स्पष्ट रूप से प्ररूप के साथ संलग्न किए गए हैं और यह समझ लिया है कि मैं किसी भी प्रक्रम पर गलत प्रमाणन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 449 के अधीन कार्रवाई के लिए दायी हूंगा।
*डिजीटल हस्ताक्षर करने के लिए (डीएससी बॉक्स)

- चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या
- लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या
- कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायरत)
*क्या एसोसिएट या फैलो है O एसोसिएट O फेलो
*सदस्यता संख्या $\qquad$ प्रैक्टिस प्रमाण पत्र की संख्या $\qquad$

टिप्पण: धारा 448 तथा 449 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन तथा मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है।

## कार्यालय प्रयोग हेतु:

## फाइल करने संबंधी विवरण संबद्ध करें

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) $\qquad$ ई-प्ररूप जमा करने की तारीख
$\qquad$ (दिन/मास/वर्ष)

प्राधिकृत अधिकारी का डिजीटल हस्ताक्षर
इस ई-प्ररूप को अनुमोदित किया जाता है $\qquad$
(जमा करने की पुष्टि करें)
इस ई-प्ररूप को अस्वीकृत किया जाता है $\qquad$
हस्ताक्षर की तारीख $\qquad$ (दिन/मास/वर्ष)
[फा.सं.1/22/2013-सीएल-V]
(अमरदीप सिंह भाटिया)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 259(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् सा.का.नि. 671(अ) तारीख 18 सितंबर, 2014 और सा.का.नि. 42 (अ) तारीख 19 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित किए गए।

